बिहार सरकार
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
सं0 संख्या–3/आ0वि0(विविध)–02–02/2016 -4323
7/6/16

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार भा0प्र0से0,
निदेशक।

सेवा में,

सभी जिला कल्याण पदाधिकारी

विषयः–अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालयों के लिए उत्तम गुणवत्ता की आवश्यक सामग्रियों का क्रय उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता मे गठित क्रय समिति के अनुशंसा पर जिला स्तर से किये जाने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय पत्रांक 979 दिनांक 23.02.2000 द्वारा उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित कय समिति के माध्यम से ही सभी आवासीय विद्यालयों के लिए सामग्रियों के कय का निदेश दिया गया था।

2. विभागीय पत्रांक–1739 दिनांक–16.05.2008 द्वारा उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में कय समिति का गठन किया गया है (छायाप्रति संलग्न)।

3. विभागीय पत्रांक–19 दिनांक–14.02.2011 द्वारा मंत्रिपरिषद् के अनुमोदन के पश्चात क्रय किये जाने वाले सामानों के दर एवं कतिपय सामानों के प्रतिवर्ष अनुमान्यता के साथ प्रत्येक तीन वर्षो पर मच्छरदानी, बेडसीट, कम्बल, चौकी, बर्तन, जूता, मोजा, फर्नीचर आदि का दर आवश्यकतानुसार जिला स्तर पर गठित क्रय समिति द्वारा निर्धारित करने का निदेश दिया गया है।

4. विभागीय पत्रांक–1974, दिनांक–27.08.2013 द्वारा आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में छात्र–छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण सामग्रियों की आपूर्ति हेतु निदेशक, अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय क्रय समिति का गठन किया गया एवं निविदा आमंत्रित कर सामग्रियों की गुणवत्ता के आधार पर दर निर्धारित करते हुए विभिन्न सामग्रियो की आपूर्ति हेतु आदेश निर्गत किया गया।

5. वर्ष 2014–15 में राज्य स्तर पर सामग्री की गुणवत्ता एवं दर निर्धारित करने तथा जिला स्तरीय समिति को सामग्रियों का क्रय एवं प्रबंधन का अधिकार देने का निर्णय लेते हुए सामग्रियों का क्रय जिला स्तर पर किये जाने का आदेश निर्गत किया गया।

6. वर्ष 2015 में वर्ष 2013 में लिये गये निर्णय को यथावत रखते हुए विभाग के स्तर से चयनित आपूर्तिकर्ताओं को आपूर्ति हेतु आदेश दिया गया।

7. अतः सम्यक् विचारोपरान्त वर्ष 2011 में मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के पश्चात निर्गत विभागीय पत्रांक–19 दिनांक 14.02.2011 के अनुरूप जिला स्तर पर गठित क्रय समिति के स्तर से निविदा आमंत्रित कर कार्रवाई करने एवं विभागीय पत्रांक–2439 दिनांक–09.10.2013 के द्वारा निर्धारित दर पर आवश्यकतानुसार जिला स्तर पर गठित क्रय समिति के अनुशंसा के आलोक में जिला कल्यााण पदाधिकारी के द्वारा गुणवत्तापूर्ण सामग्रियों को क्रय करने का निदेश दिया जाता है।

8. सामग्रियों का क्रय नियमानुसार उपलब्ध राशि के अन्तर्गत ही किया जाये। राशि की कमी की स्थिति में समुचित सूचनाओं यथा– वर्गवार छात्र–छात्रा की संख्या, आवश्यक सामग्री का विवरण, कुल सामग्री की आवश्यकता, मदवार कुल राशि की आवश्यकता, उपलब्ध राशि शेष राशि के संबंध में सूचनायें उपलब्ध कराते हुए राशि/आवटंन की माँग की जाये ताकि तदनुसार आवंटन विमुक्त किया जा सके।

9. किसी भी परिस्थिति में गुणवत्ता के साथ समझौता नहीं किया जाय।

10. पूर्व में निर्गत सभी आदेश यथा संशोधित समझे जायेगें।

11. प्रस्ताव में माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

(वीरेन्द्र कुमार)
निदेशक।

ज्ञापांक–3/आ0वि0(विविध)–02–02/2016 -4323 पटना, दिनांक– 7/6/16

प्रतिलिपिः– सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, कल्याण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक। 7/6/16

ज्ञापांक–3/आ0वि0(विविध)–02–02/2016 -4323 पटना, दिनांक– 7/6/16

प्रतिलिपिः– सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/सभी अवर सचिव/उप निदेशक मुख्यालय/सभी सहायक निदेशक/संबंधित प्रशाखा पदाधिकारी, अनु0ज0 एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक। 7/6/16

ज्ञापांक–3/आ0वि0(विविध)–02–02/2016 -4323 पटना, दिनांक– 7/6/16

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक। 7/6/16

ज्ञापांक–3/आ0वि0(विविध)–02–02/2016 -4323 पटना, दिनांक– 7/6/16

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री महोदय के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक। 7/6/16

ज्ञापांक–3/आ0वि0(विविध)–02–02/2016 -4323 पटना, दिनांक– 7/6/16

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक। 7/6/16